

दफ्तर जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 28/2021
रजिस्ट्रेशन नं. : 2021/40

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस
लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स,
शास्त्री सर्कल उदयपुर

अप्रार्थी /रेस्पोंडेंट्स:-

1. श्री देवीलाल पांचाल पुत्र श्री रघुनाथ
पांचाल निवासी 4, कोपीस, बोरी, अरथुना
रोड, अंबेडकर कॉलोनी, तहसील गढी,
जिला बांसवाड़ा (ऋणी व बंधक कर्ता)
2. श्रीमती अनीता पांचाल पत्नी श्री देवीलाल
पांचाल निवासी 234, बोरी, अरथुना रोड,
अंबेडकर कॉलोनी, तहसील गढी, जिला
बांसवाड़ा (सह ऋणी)
3. श्री उतपल पांचाल पुत्र देवीलाल पांचाल
निवासी 4, बोरी, अरथुना रोड, अंबेडकर
कॉलोनी, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा
(जमानती)
4. श्री हरीश चन्द्र व्यास पुत्र श्री रतनलाल
व्यास निवासी सौतला माता चौक, प्रतापपुरा,
गढी, जिला बांसवाड़ा (जमानती)

वनाम

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति
हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :- 18.02.2022

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर ने
प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर 1- श्री देवीलाल पांचाल पुत्र श्री रघुनाथ पांचाल निवासी 4, कोपीस, बोरी, अरथुना रोड,
अंबेडकर कॉलोनी, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा (ऋणी व बंधक कर्ता) 2- श्रीमती अनीता पांचाल पत्नी श्री
देवीलाल पांचाल निवासी 234, बोरी, अरथुना रोड, अंबेडकर कॉलोनी, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा (सह
ऋणी) 3- श्री उतपल पांचाल पुत्र देवीलाल पांचाल निवासी 4, बोरी, अरथुना रोड, अंबेडकर कॉलोनी, तहसील
गढी, जिला बांसवाड़ा (जमानती), 4- श्री हरीश चन्द्र व्यास पुत्र श्री रतनलाल व्यास निवासी सौतला माता चौक,
प्रतापपुरा, गढी, जिला बांसवाड़ा (जमानती) को दिनांक 23.01.2015 को राशि रुपया 5,00,000 (अक्षरे पाँच लाख
रुपया मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और



कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)


आते-देय होने पर दिनांक 21.01.2019 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है।
जाते दिनांक 14-07-2020 तक कुल बकाया ऋण राशि 1,80,000 रु. (एक लाख अस्सी हजार
रु.) एवं तत्पश्चात् राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। सिक्योरिटी के रूप में
अपनी अचल सम्पत्ति प्रार्थी के पास रहन की जिसका विवरण श्री देवीलाल पांचाल पुत्र श्री रघुनाथ पांचाल
निवासी 4, कोपीस, बोरी, अरथुना रोड, अंबेडकर कॉलोनी, तहसील गढी, जिला बाँसवाड़ा की सम्पत्ति जो पट्टा
सं. 46 दिनांक 20.03.2007 मिसल सं. 46, नयी आबादी मोहल्ला ग्राम बोरी तहसील गढी जिला बाँसवाड़ा पर
स्थित है, जो माप लगभग 2960 वर्ग फीट है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग
है, जिसके पूर्व में मेन रोड, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में रघुनाथ जी पांचाल का आबादी प्लॉट, दक्षिण में
रमेश चन्द्र पुत्र रघुनाथ पुंचाल का प्लॉट है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे अधिपत्य में
लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध
कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर 2015
के अनुसार प्रार्थी एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का
प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की
उपधारा(1) के खंड (ड) के उप-खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20
प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना
पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 19-08-2020 को ऋणी
अप्रार्थीगणों को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नहीं की व ऋण राशि जमा नहीं
करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 02.09.
2021 को जारी किया गया। दिनांक 20.09.2021 को अप्रार्थी सं. 1 श्री देवीलाल उपस्थित हुए। तत्पश्चात्
अप्रार्थी सं. 1 आज दिनांक तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया एवं अनुपस्थित है। अप्रार्थी सं. 2 से 4 बावजूद नोटिस
तामील अनुपस्थित रहे हैं। अतः दिनांक 18.02.2022 को अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब बंद किया गया तथा
शेष अप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये एवं प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत




कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं
सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत
वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को
अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमों के अनुसार
किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गढी को निर्देशित किया जाता है कि वह
उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड,
एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग
प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह
अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस
सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(अंकित कुमार सिंह)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बासवाड़ा (राज.)